संख्या-1362/2025/1867/22-2-2024-17(656)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 13 नवम्बर, 2025*

विषय:- जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी श्रीमती अनीता पत्नी श्री शिवराज, निवासी जनपद-सहारनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी श्रीमती अनीता पत्नी श्री शिवराज, अम्बेहटा चांद थाना-बडगॉव, जनपद-सहारनपुर की निवासिनी है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 28.02.2012 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर जलाकर श्रीमती रिंकी की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु महिला बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-580/2012 में भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए व 3/4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-3, सहारनपुर के दण्डादेश दिनांक 30.07.2018 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है, महिला बंदी द्वारा दिनांक 10.05.2023 तक अपरिहार 10 वर्ष 02 माह 15 दिन तथा 11 वर्ष 07 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा प्रश्नगत महिला बन्दी की 58 वर्ष की आयु एवं महिला बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 10.05.2023 तक अपरिहार 10 वर्ष 02 माह 15 दिन तथा सपरिहार 11 वर्ष 07 माह 09 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी श्रीमती अनीता (बन्दी संख्या-76/2021) पत्नी श्री शिवराज, निवासी जनपद-सहारनपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1362/2025/1867(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बिजनौर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in